न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पींठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :– 18 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लालाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट निवासी राउजी की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर।		1 मुकनाराम 2 गोमाराम पिसरान चौखाराम 3 गुणेशाराम पुत्र पीराराम 4 चैनाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी राउजी की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री भोमाराम चौधरी, वकील प्रार्थी।

2 श्री मेघाराम चौधरी, वकील अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 05-3-21

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राउजी की ढाणी पटवार मण्डल कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 316 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 384 / 318 रकबा 115.11 बीघा, खसरा संख्या 440 / 318 रकबा 04.16 बीघा कुल रकबा 120.12 भूमि की आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त खसरों पर प्रार्थी द्वारा नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जो आवेदन संख्या 56 / 2018 पर दर्ज हुआ जिसका नेखमबन्दी का आदेश दिनांक 31.05.2018 को न्यायालय ने पारित किया। उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 25.05 2019 को उक्त खसरों की नेखमबन्दी की गई। खसरा संख्या 384 / 318 रकबा 115.11 बीघा भूमि की नक्शे में रकबा की तरमीम करते समय कम हो गया, जबकि मौके पर रकबा पूरा है। प्रार्थी की भूमि मौजा राउजी की ढाणी पटवार मण्डल कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 384 / 318 रकबा 115.11 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम अशुद्ध होने से मौके पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा फर्द मौका व नेखमबन्दी के नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा राउजी की ढाणी पटवार मण्डल कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 384 / 318 रकबा 115.11 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम अशुद्ध होने से मौके पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा फर्द मौका व नेखमबन्दी के नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो उन्हें कोई आपति नही है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत पत्रांक भू.अ. / 2019 / 4484 दिनांक 05.08.2019 द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 56 / 2018 अनवान लालाराम बनाम मुकनाराम आदेश

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 11.05.2018 के संलग्न फर्द मौका तथा फर्द नक्शा का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के अनुसार रेकर्ड की स्थिति मौके पर कब्जा काश्त के फर्द नक्शा अनुसार शुद्ध की जाती है तो अभिलेख भी शुद्ध हो जायेगा तथा रकबे में भी कोई परिवर्तन नही होगा। तहसीलदार बाड़मेर ने मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षों की सहमति के मद्देनजर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा राउजी की ढाणी पटवार मण्डल कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 384/318 रकबा 115.11 बीघा भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम तहसीलदार बाड़मेर द्वारा फर्द मौका व नेखमबन्दी के नक्शे के अनुसार दुरूस्त की जावे। फर्द मौका के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाड़मेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 05-3-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर